<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/2994/2003/चित्तौडगढ</u>
ग्राम पंचायत मण्डफिया जरिये सरपंच श्रीमती झूमली पत्नी बगदीराम रेगर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

1. नानूराम 2.पोखर 3. मोहन पुत्रान रतना खटीक
निवासी ग्राम मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री अशोकनाथ अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 19.3.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–5–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 नानूराम ने प्रत्यर्थी संख्या 2लगायत 4 एवं अपीलार्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88,188व 209 के अन्तर्गत वाद पत्र में अंकित

आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1व2 नें इकबाली जबाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3व4 राजस्थान सरकार एवं सरपंच ग्राम पंचायत के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपने निर्णय दिनांक 7–3–2000 से वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर ग्राम पंचायत की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–5–03 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1व2 के पिता की आयु सन 2003 में 70वर्ष की है। इस हिसाब से उसका जन्म सन 1938 में हुआ था तथा जो तथाकथित पटटा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह सन 1935सम्बत 1992 का है। इस हिसाब से रतन लाल को 2 वर्ष की उम्र में ही पटटा मिल गया जो अपने आप में सन्देहास्पद होकर तथाकथित पटटे को फर्जी करार देता है। उनका तर्क है कि मन्दसौर(नीमच) ग्वालियर स्टेट के अधीन था तथा वादी द्वारा तथाकथित पटटा सम्बत 1992का बताते हुये हक क्लेम किये हैं। तथाकथित पटटे में मौजा मण्डकिया जो कि मन्दसौर नीमच परगना का हिस्सा होकर ग्वालियर स्टेट में था, परन्तु पटटे में परगना डूंगला जो कि टोंक स्टेट में आता था,बता रखा है एवं जिला चित्तौडगढ बता रखा है जो मेवाड स्टेट में था। अर्थात तीन स्टेट का हवाला देकर जारी करना बताया जा

रहा है। इस प्रकार सम्पूण पटटे का ही अस्तित्व संदिग्ध है। तथाकथित पटटा किसने किस हैसियत से जारी किया, कहीं स्पष्ट नहीं है तथा न ही उक्त पटटे को किसी शहादत या सबूत से साबित कराया। क्योंकि किसी भी स्टेट द्वारा अगर पटटा जारी किया जाता है तो उक्त स्टेट रजिस्टर में पटटे का वर्णन किया जाता है। जो लगान की रसीदें पेश की गई हैं उसका वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होते समय से ही चरनोट होकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर कभी भी वादी एवं उसके पिता का कब्जा नहीं रहा। उक्त भूमि धारा 16 की परिधि में आने के कारण उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिये दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य हैं। अपने कथन के समर्थन में 1998 डी एन जे राज.पेज221 एवं जिला कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा राजस्थान सरकार बनाम श्री नानूराम में पारित निर्णय दिनांक 7–2–2004 की प्रति पेश की।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रदर्श पी–1 में भूमि चारागाह दर्ज है जबकि प्रदर्श–2पटटे में स्पष्ट रूप से भूमि मौरूसी तौर पर रतना को दी गई है तथा लगान जमा कराने व जमीन आबाद करने की शर्त रखी गई है। प्रत्यर्थीगण का भूमि पर अपने पिता के समय से कब्जा है इसलिये वह स्वतः ही खातेदार काश्कार हो जाते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षे नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श पी–1 नकल जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी की किस्म महफूज चरनोट दर्ज है तथा राज्य सरकार की ओर से जो जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वादग्रस्त आराजी को चरनोट बताया गया है। प्रत्यर्थी संख्या1 नानूराम द्वारा वाद अपने भाई पोखर व मोहन तथा राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वाद पेश करते समय ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। बाद में दिनांक 15–6–99 को आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनाया है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 डी एन जे राज. पेज 221 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–''पंचायती राज अधिनियम,1994–धारा 109– वाद प्रस्तुत करने से पूर्व पंचायती राज संस्था को नोटिस देना होगा–नोटिस नहीं दिया गया–इसका प्रभाव ?– क्या इस स्थिति में धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के समान सुविधा दी जा सकेगी ?–अभिनिर्धारित,धारा 80(2) सिविल प्रकिया संहिता के आशय के विपरीत,नोटिस नहीं देने की स्थिति में धारा 109 वाद संस्थित करने का वर्जन करती है और इस वर्जन की अवहेलना न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके भी नहीं हो सकती है।''इस प्रकार ग्राम पंचायत को नोटिस दिये बिना विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषनीय नहीं था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श पी–1नकल जमाबन्दी सम्बत 2052–55 में वादग्रस्त आराजी की किस्म चरनोट दर्ज है। ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित है। जहां तक विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श पी–2 पटटे का प्रश्न है,उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेडा ने जिस तथाकथित पटटे के आधार पर डिक्री पारित की है वह किसी भी जागीरदार द्वारा जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है और न ही विपक्षीगण द्वारा इस पटटे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया है तथा प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही तथाकथित पटटा फर्जी होना स्पष्ट होता है। प्रश्नगत पटटे पर मालगुजार मौजा मण्डफिया परगना डूंगला जिला चित्तौडगढ सम्बत 1992 अंकित है। नाम काश्तकार श्री रतना पिता लखमा खटीक साकिन मण्डफिया अंकित किया है। ग्राम मण्डफिया ग्वालियर स्टेट का ग्राम था। जमाबन्दी में उक्त भूमि गैर मुमकिन चरनोट अंकित है। मौजा डूंगला टोंक स्टेट का गांव था तथा मौजा डूंगला परगना नहीं रहा है तथा ग्वालियर स्टेट का ग्राम नहीं था। पटटे पर जिला चित्तौडगढ भी गलत अंकित किया गया है। तथाकथित पटटा सन 1935 में जारी किया गया है। पटटेदार ने अपनी उम्र 70 वर्ष बताई है इससे स्पष्ट है कि पटटा कर्ता ने 4–5 वर्ष की उम्र में ही पटटा प्राप्त किया है जबकि इस उम्र में कोई भी व्यक्ति पटटा प्राप्त नहीं कर सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा चरनोट की भूमि के बाबत डिक्री पारित की गई है। लगभग 65वर्ष के बाद वाद दायर कर Collucive decree के माध्यम से अधिकार प्राप्त किये हैं। यह तथ्य भी अपने आप में अविश्वसनीय है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु 65वर्ष तक इन्तजार नहीं कर सकता है। यह भी अपेक्षित नहीं है कि जिसका अधिकार हो वह 65वर्ष तक सोया रहे। इसके अतिरिक्त इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी अंकित करना प्रासंगिक होगा कि वाद प्रस्तुत करने के समय पटटाधारी स्वयं जीवित था तो भी उसको मृत बताकर उसके पुत्रों ने डिक्री प्राप्त की है।

इस प्रकार प्रत्यर्थीगण ने लगातार धोखे तथा फर्जी पट्टे के आधार पर डिक्री प्राप्त की है।

8. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिकी दिनांक 28–5–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 7–3–2000 एवं 20–10–99 को निरस्त किया जाता है।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य